वीरांगनाओं के साथ न्याय के लिए डटे रहे किरोड़ी मीणा

जयपुर। वीरांगनाओं के लिए न्याय की माँग को लेकर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार दूसरे दिन शहीद स्मारक पर जारी रहा। डॉक्टर मीणा ने कहा कि जिस शासन में शहीदों की वीरांगनाओं का अपमान होता है वह सत्ता नष्ट होती है। सरकार की वादाखिलाफी से ख़फ़ा डॉक्टर किरोड़ी मीणा वीरांगनाओं और उनके परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। शहीद जीतराम

■ **धरना दूसरे दिन भी जारी, सरकार से विफल रही वार्ता**

गुर्जर की पत्नी सुन्दरी देवी, शहीद रोहिताश लाम्बा की पत्नी मंजू जाट, शहीद हेमराज मीना की पत्नी मधुबाला मीना धरने पर डॉक्टर मीणा के साथ है। डॉक्टर मीना ने कहा वीरांगनाओं के जायज़ माँगों के सम्मान में दूसरे दिन धरने पर बैठा हूं। शहीदों का अपमान करने वाली अशोक गहलोत सरकार को वीरांगनों का सम्मान करना सीखना चाहिए।

धरना स्थल पर बुधवार को राज्य मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा पहुँचे। उन्होंने आश्वासन दिया की वीरांगनाओं की माँगें मानी जाएगी कल मुख्यमंत्री से बात करूँगा। धरना स्थल पर उप प्रतिपक्ष नेता राजेन्द्र राठौड़, विधायक मदन दिलावर, विधायक चंद्रकांता मेघवाल, विधायक गोपी चंद मीना, विधायक संतोष बावरी, विधायक संदीप शर्मा, पूर्व विधायक हीरालाल नागर पहुँचे ओर वीरांगनाओं की माँगो का समर्थन किया।

डॉक्टर किरोड़ी ने तीनों वीरांगनाओं के साथ शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा से मुलाक़ात की। वार्ता में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी पर वीरांगनाओं की मुख्य माँगों पर सहमति नहीं बन पाई और वार्ता विफल हो गई। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवान की वीरांगनाओं की माँगें थी की सड़क निर्माण, स्कूल का शहीद के नाम नामकरण ओर आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए जिसकी घोषणा राज्य सरकार ने शहीदों के दाह संस्कार के समय की थी अब सरकार को वायदा निभाना चाहिए।

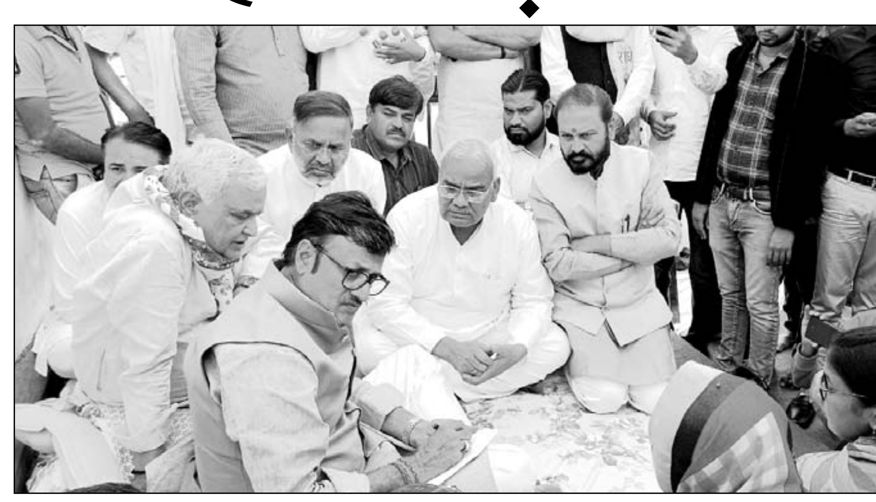

शहीद स्मारक स्थित धरना स्थल पर वीरांगनाओं के साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात करने उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे। उनके साथ विधायक मदन दिलावर व संदीप शर्मा भी मौजूद थे।

डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री को इसमें राजनीति ना करके देश के लिए बलिदान देने वाले वीर ज़वानो के परिजनों की जायज़ माँगों को तुरंत मान लेना चाहिए। इस मौक़े पर वीरांगनाओं का कहना है सरकार के द्वारा की गई घोषणा पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए ओर जिन पुलिस अधिकारियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। श्याम क़रीब सात बजे वीरांगनाओं के साथ सैकड़ों युवाओं ने केंडिल मार्च किया पुलिस प्रशासन सकते में आया बड़ी मुश्किल से प्रशासन की बात मान कर शहीद स्मारक के अंदर घुसे प्रशासन ने चैन की साँस ली।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने भी वीरांगनाओं और सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरने का मुद्दा सदन में उठाया। राठौड़ ने कहा कि सरकार की ओर से मंत्री ने कहा था कि सिर्फ एक वीरांगना धरने पर बैठी है और उसके देवर को नौकरी देने पर सहमति नहीं बनी है, बाकी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। जबकि हकीकत यह है कि चार वीरांगनाएं और उनके बच्चे धरने पर बैठे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने जो वायदे उनके साथ किये हैं उन्हें पूरा किया जाये। कुछ जगहों पर शहीद की मूर्ति लगनी बाकी है तो कुछ जगहों पर सड़क निर्माण व अन्य मांगें पूरी नहीं हुई हैं। मेरा सदन से आग्रह है कि शहीदों के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए सरकार उनकी मांगों पर तुरंत निर्णय ले।

शहीदों के परिजनों का सहयोग नहीं करते अफसर : गुढ़ा

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान शहीदों के परिजनों को लाभ नहीं मिलने का मुद्दा उठा। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि अफसर शहीदों के परिजनों का बिल्कुल सहयोग नहीं करते। विधायक संदीप शर्मा के सवाल के जवाब में गुढ़ा ने कहा कि शहीदों के परिजनों को पैकेज के तहत 25 बीघा जमीन और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 बीघा जमीन जहां अलॉट करते हैं, कई शहीदों के परिजन मौके पर जमीन देखकर उसे लेना पसंद नहीं करते, वह जमीन उन्हें पसंद नहीं आती। शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार के प्रावधान के हिसाब से कई प्रावधान हैं, लेकिन अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं।

सी.एम.के सलाहकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है : सी.पी.जोशी

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सिरोही से निर्दलीय विधायक और सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने एक युवक को मर्डर के झूठे मुकदमे का मामला उठाया। लोढ़ा ने मंत्री टीकाराम जूली से कहा कि आपने जब सिरोही जेल का निरीक्षण किया था, तब मर्डर के झूठे मुकदमे में फंसाए गए आदिवासी से बात हुई थी। जिस दिन मर्डर हुआ वह जेल में था, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, आपने दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में क्यों नहीं लिखा? इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने संयम लोढ़ा से कहा मुख्यमंत्री के सलाहकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस पर सदन में जमकर ठहाके लगे।

विधायक ने सवाल ही गलत पूछा है : गुढ़ा

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक पानाचंद मेघवाल ने होमगार्डों को नियमित भर्ती से संबंधित पूरक प्रश्न पूछा। इस पर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि विधायक ने सवाल ही गलत पूछा है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड सरकारी नौकर नहीं होते वे स्वयं सेवक होते हैं। इसलिये इन्हें नियमित नहीं किया जा सकता। इन्हें वेतन व अन्य परिलाभ नहीं दिये जा सकते। विधायक ने सवाल ही गलत पूछा है।

प्रदेश में तीन नए संक्रमित मिले

जयपुर। प्रदेश में बुधवार को तीन नए करोना संक्रमित मिले हैं। इस बीच किसी भी मरीज के ठीक नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 10 हो गए है। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

प्रदेश में बुधवार को उदयपुर में तीन नए संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले राज्य में मंगलवार को दो रोगी मिले थे। इधर आज राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी कोई नया संक्रमित नहीं मिला है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में एक भी संक्रमित के ठीक नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 10 हो गए हैं।

नेटबंदी के खिलाफ एससी में याचिका

जयपुर। प्रदेश में बडी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के दौरान इंटरनेट बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। छाया रानी की इस जनहित याचिका पर होली बाद सुनवाई होगी। प्रदेश में बीते दिनों आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के दौरान 11 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने को जनहित याचिका में आधार बनाया गया है। पीआईएल में कहा गया कि इंटरनेट बंद करने का संभागीय आयुक्तों का आदेश मौलिक अधिकारों का हनन करता है। याचिका में कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरनेट बंद करना अवैध है। राज्य सरकार के अफसर अपनी नाकामी छिपाने के लिए इंटरनेट बंद करने के आदेश दे रहे हैं।

कोर्ट की ऑर्डर शीट बदलने वाले रीडर को 38 साल बाद सजा

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-2 महानगर प्रथम ने वर्ष 1984 में बेदखली से जुड़े वाद में कोर्ट की ऑर्डर शीट बदलने वाले तत्कालीन रीडर हरबंस खुराना को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने प्रकरण में न्यायालय की ऑर्डर शीट को बदलकर रिकॉर्ड में कूटरचना कर एवं न्यायिक कार्यवाही में झूठी साक्ष्य देने और उसे पत्रावली में शामिल कर असल रूप में प्रयोग करने का गंभीर आरोप है। अभियुक्त के कृत्य से न्यायालय की कार्यवाही की विश्वसनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसे में उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता। वहीं अदालत ने ट्रायल के दौरान सह आरोपी सूरज नारायण की मौत होने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर चुकी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 1984 में एसीएमएम कोर्ट क्रम-4 में बेदखली से जुड़ा दावा लंबित चल रहा था। इस दौरान पांच जनवरी 1984 की ऑर्डर शीट के जरिए अभियुक्त प्रतिवादी सूरज नारायण का बेदखली के विरुद्ध अधिकार समाप्त किया गया था। वहीं तत्कालीन रीडर हरबंस ने मिलीभगत कर नई ऑर्डर शीट जारी कर सूरज के बेदखली के विरुद्ध प्रतिरखा के अधिकार को समाप्त होने की बात को हटा दिया। मामला सामने आने पर वर्ष 1992 में एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं 25 जून 1993 को हरबंस लाल खुराना ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसी दौरान उसकी पत्नी ने हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश कर दी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तकनीकी आधार पर हरबंस के खिलाफ लिए गए प्रसंज्ञान को गलत मानते हुए कहा कि मामला संबंधित मजिस्ट्रेट के परिवाद पर दर्ज नहीं हुआ है। इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की गई।

वकीलों का बहिष्कार जारी, हाईकोर्ट में सुनवाई टली

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने और नए वकीलों को मानदेय देने से जुड़े मामले में सुनवाई एक दिन के लिए टल गई। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा की जनहित याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सचिवालय में मीटिंग चल रही है और उसमें कई एएजी भी गए हुए हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी जाए। जिस पर अदालत ने सुनवाई टाल दी। हाईकोर्ट की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने और जोधपुर में वकील जुगराज सिंह की हत्या को लेकर कई दिनों से चल रहे न्यायिक कार्य बहिष्कार पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। इस प्रसंज्ञान मामले में भी गुरुवार को ही सुनवाई होगी। वहीं निचली कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, जेडीए कोर्ट व अन्य कोर्ट में वकीलों का न्यायिक कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। वकीलों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर राज्य सरकार से जल्द ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की। जिसमें हाईकोर्ट बार के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता विकास सोमानी सहित अन्य वकील शामिल हुए।

वहीं दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव सहित डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव की टीम बुधवार को मुख्यमंत्री से मिले। हाईकोर्ट बार के महासचिव बलराम वशिष्ठ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बुधवार शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा। दूसरी ओर बीसीआर ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने के लिए सात सदस्यीय कमेटी गठित की है।

लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू ने कार्यभार संभाला

जयपुर, (का.सं.)। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने सप्त शक्ति कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर जनरल ऑफिसर ने जयपुर मिलिट्री स्टेशन स्थित प्रेरणा स्थल पर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सैनिक स्कूल बीजापुर के पूर्व छात्र एवं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के स्नातक, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन हुए।जनरल ऑफिसर, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज, महू से स्नातक हैं। इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज यूनाइटेड किंगडम से अपना नेशनल डिफेंस कॉलेज किया और नेवल

बी.एस.राजू

पोस्टग्रेजुएट स्कूल, मोंटेरे, यूएसए में काउंटर टेररिज्म में प्रतिष्ठित मास्टर्स प्रोठाम में भी भाग लिया है।

जनरल ऑफिसर ने 38 साल के अपने शानदार करियर के दौरान विभिन्न सैन्य क्षेत्रों में सेवाएं दी है।

दुष्कर्मी को सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कजोड़ मल उर्फ कमल को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

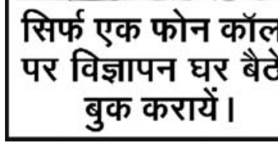

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

डॉ. सतीश पूनियां ने 4 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव की तैयारियों पर चर्चा की

■ **भाजपा विधायक दल की बैठक में सदन में उठाए जाने वाले प्रदेश के जनहित के मुद्दों और 4 मार्च के विधानसभा घेराव आंदोलन को लेकर सतीश पूनियां, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विधायकों के साथ चर्चा की**

जयपुर। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, लंबित भर्तियां, सम्पूर्ण किसान कर्जमाफी, महिला सुरक्षा इत्यादि जनहित के मुद्दों को लेकर 4 मार्च को कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ विशाल विधानसभा घेराव की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जयपुर के नगर निगमों के पार्षदों और जिला परिषद सदस्यों के साथ तैयारियों को लेकर संवाद किया।

बैठक में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, जयपुर जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा, जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर, डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट इत्यादि भी उपस्थित रहे। इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा में उठाए जाने वाले प्रदेश के जनहित के मुद्दों और 4 मार्च के विधानसभा घेराव आंदोलन को लेकर सतीश पूनियां, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विधायकों के साथ चर्चा की।

मीडिया से बातचीत में डॉ. पूनियां ने कहा कि, कांग्रेस सरकार ने साढ़े चार वर्षों में सदन की गरिमा तो गिराई ही है, लेकिन उसके साथ यह सदन जवाबदेह होता है, जितने मुद्दे विधायकों के द्वारा चाहे वह सत्तापक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, उठाये जाते हैं। विधानसभा में राज्य सरकार के स्तर पर कोई संजीदगी नहीं देखी जा रही है, यहां सदन में जब बहुत गंभीर चर्चा होती है तो उस पर भी इनके मंत्री बहुत केजुअल जवाब देते हैं या फिर जवाब दे ही नहीं पाते हैं। इससे यह साफ दिखता है कि जब सरकार की नीति और नीयत ठीक नहीं होती है तो वह शब्दों के रूप में प्रकट हो जाती है, जनहित के मुद्दों को भाजपा सदन से लेकर सड़क तक मजबूती से उठा रही है और प्रदेश के हालात हर मोर्चे पर इतने विफल हैं कि कांग्रेस सरकार के विधायकों के द्वारा भी सदन में प्रदेश के अराजक हालात की स्थिति रखी जा रही है, जो सबके सामने है।हालांकि यह जुगाड़ की सरकार है, इसमें जो लोग बैठे हैं उनकी परफॉर्मेंस धरातल पर कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो पूरे प्रदेश में एंटी इनकमबेंसी है, वह सरकार के साथ-साथ इनके मंत्री और विधायकों के खिलाफ भी है।

खोया-पाया

प्लॉट नम्बर 05, रोहिणी विहार, संतोष नगर, गंगापोल बाहर, जयपुर के पुराने असल दस्तावेज गंगापोल से कहीं गुम हो गए हैं। जिस किसी को मिले सूचित करें। शाकिर मो. 9314356061

बेदखली नोटिस

यह कि मेरे अभिभाष्य श्री बृजमोहन सोनी पुत्र श्री जुगलकिशोर सोनी, हाल निवासी प्लाट नंबर-70 श्री राधाकृष्ण विहार, गोकुलपुरा, कालवाड रोड, झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान आधार नंबर 975298610450 घोषणा करते है कि मेरा पुत्र धर्मेन्द्र सोनी मेरे साथ निवास नहीं करता है तथा वह मेरे कहने में नहीं है एवं उसके द्वारा कारित असामाजिक कार्यो के कारण मुझे व मेरे दूसरे पुत्र देवेन्द्र सोनी व मेरे पूरे परिवार को सामाजिक व प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिससे मैं व मेरा पूरा परिवार अत्यधिक आहत है जिस कारण मैं व मेरा पूरा परिवार मेरे पुत्र धर्मेन्द्र सोनी से अपने समस्त संबंध समाप्त करते है साथ ही मैं अपने पुत्र धर्मेन्द्र सोनी को अपनी चल-अचल सम्पत्ति से पूर्णतया बेदखल करता हूँ। यह की धर्मेन्द्र सोनी द्वारा कारित किसी भी कृत्य से मेरा व मेरे परिवार का कोई सरोकार नहीं है तथा यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्मेन्द्र सोनी से कोई संबंध रखा जाता है या लेन-देन किया जाता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। (कार्तिक सोनी), एडवोकेट जयपुर/दिनांक मो. 9462630309, 8949017405

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन.मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर, 0141-4901853
आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 4-स-24-ए, जवाहर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 545.875 वर्ग मीटर का आवंटन श्री पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम रतन गुप्ता को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 781 दिनांक 06/10/1999 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 25 दिनांक 13/04/2000 जारी किया गया था। श्री पवन कुमार गुप्ता की मृत्यु दिनांक 12/06/2022 को हो जाने के कारण श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी स्व. श्री पवन कुमार गुप्ता के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग पत्र की छाया प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी स्व. श्री पवन कुमार गुप्ता के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय. रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास/फ्लेट संख्या-12/97 (जी.एफ.) मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 89.958 वर्ग मीटर का आवंटन श्री सत्यजीत सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1461 दिनांक 14.11.2000 जारी किया गया। उनके द्वारा आवास/फ्लेट के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 25.03.2006 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री सत्यजीत सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर द्वितीय में दिनांक 29.04.2006 को उक्त आवास/फ्लैट का मुख्त्यारनामा आम श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह को नियुक्त किया गया। तत्पश्चात मुख्त्यारनामा आम श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह के द्वारा उक्त आवास/फ्लैट का बेचान जरीये विक्रय पत्र के स्वयं श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह को कर विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर चतुर्थ में दिनांक 16.04.2008 को करवाया गया। श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह की मृत्यु दिनांक 02.05.2021 को हो जाने के कारण श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री चन्नन सिंह के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र की छाया प्रति, विक्रय पत्र के की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास/फ्लैट का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/फ्लेट के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री चन्नन सिंह के पक्ष में उक्त आवास/फ्लेट के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

आम सूचना

मैं आम सूचना द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे अभिभाष्य नृहसिंह शरण पुत्र स्व. श्री हजारीलाल शर्मा निवासी वार्ड नम्बर-35 दुर्गा माता मंदिर के पीछे, गोविन्द विहार कोटपूतली जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाले है मेरे अभिभाष्य की चल व अचल सम्पत्ति से मेरे अभिभाष्य के पुत्र अमन शर्मा पुत्र नृहसिंह शर्मा व मेरे अभिभाष्य की पुत्र वधु पूजा शर्मा निवासी वार्ड नम्बर-35 दुर्गा माता मंदिर के पीछे, गोविन्द विहार कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान जो की मेरे अभिभाष्य कहे में नहीं है तथा दिगर व्यक्तियों के बहकावे में रहते है मेरे अभिभाष्य का पुत्र नशे में रहता है इन दोनों का मेरे अभिभाष्य की सम्पत्ति से कोई ताल्लुक वास्ता व लेना देना नहीं है मेरे अभिभाष्य इन दोनों को अपनी सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ मेरे अभिभाष्य की सम्पत्ति से इनका कोई लेना देना व ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा। जो भी इनसे कोई खरीद बेचान करेगा उसकी मेरे या मेरे अभिभाष्य की सम्पत्ति से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा ना ही मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उसकी सम्पत्ति व्यवहार करने वाले स्वयं की रहेगी सूचित रहे।
दिनांक-1.3.23 कृष्ण कुमार शर्मा एडवोकेट, कोटपूतली मो.9660710701, 9829731505

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-16272 दिनांक-01.03.2023
जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की STATE SERVICES RESIDENCY SCHEME सेक्टर-19,प्रताप नगर सांगानेर योजना में फ्लैट/आवास आवंटन लॉटरी दिनांक 23.12.2022 को फ्लैट संख्या SS/B-7/101 (I-F) का आवंटन श्रीमती उषा कपूर पत्नी श्री सोम प्रकाश कपूर एवं श्री मनीष कपूर पुत्र श्री सोम प्रकाश कपूर को किया जाकर आरक्षण पत्र क्रमांक 14302 दिनांक 20.01.2023 से जारी किया गया। श्रीमती उषा कपूर की मृत्यु दिनांक 30.12.2022 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री मनीष कपूर पुत्र श्री सोम प्रकाश कपूर द्वारा उक्त फ्लैट को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त फ्लैट का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्री मनीष कपूर पुत्र श्री सोम प्रकाश कपूर का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

आम सूचना मेरे अभिभाष्य नारायण सिंह राठौड पुत्र स्व. रघुवीर सिंह राठौड निवासी 4 पीतल फैक्ट्री पीएनबी बैंक वाली गली शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान ने अपने लड़के विजय सिंह राठौड से अपने पूरे परिवार सहित संबंध खत्म करते हुए उसे अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अगर भविष्य में उसके साथ कोई लेन-देन करेगा वह स्वयं जिम्मेदार होगा मेरा अभिभाष्य उसके कार्य का जिम्मेदार नहीं होगा। मुकेश कुमार झालानी (एडवोकेट), मो.नं. 9829251397

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य इंदरजीत काकवानी पुत्र श्री हरीश काकवानी, निवासी 1/328 सेक्टर-1, मालवीय नगर-302017 राज. के पिता-श्री हरीश काकवानी पुत्र श्री भगवान दास काकवानी और माता-श्रीमती ज्योति देवी पत्नि श्री हरीश काकवानी, निवासीगण-फ्लैट नं. 403, बिल्डिंग नं.-17, मलाड वेस्ट, मुम्बई से किसी प्रकार का कोई संबंध शेष नहीं है। मेरा अभिभाष्य अपने माता-पिता से अलग रहता है। मेरे अभिभाष्य के पिता श्री हरीश काकवानी और माता श्रीमती ज्योति देवी, उसके कहने में नहीं है एवं मेरे अभिभाष्य से लडाई झगडा करते रहते है। यदि कोई व्यक्ति, संस्था मेरे अभिभाष्य के पिता श्री हरीश काकवानी और माता श्रीमती ज्योति देवी से किसी भी प्रकार का संव्यवहार करेगा अथवा कोई लेन-देन अथवा कोई सामाजिक व्यवहार रखेगा तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। (महेन्द्र सिंह, एडवोकेट), मो. 7023898966

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर दूरभाष संख्या:- 0141-4901853
आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 6218 दिनांक 19.09.2011 जारी कर आवास/फ्लैट संख्या 11/837 (जी.एफ.) मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 36.700 वर्ग मीटर का प्रतिस्थापन श्री परस राम मदनानी पुत्र स्व. श्री बली राम मदनानी के नाम किया गया था। श्री परस राम मदनानी की मृत्यु दिनांक 22.05.2022 को हो जाने के कारण श्री अनिल कुमार मदनानी पुत्र स्व. श्री परसराम मदनानी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग की छाया प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास/फ्लेट का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/फ्लेट के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री अनिल कुमार मदनानी पुत्र स्व.श्री परसराम मदनानी के पक्ष में उक्त आवास/फ्लेट के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक वृत तृतीय,रा.आ.मण्डल जयपुर

आम सूचना/नाम संशोधन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम महेंद्र कुमार पुत्र श्री हरि प्रसाद गुप्ता निवासी मोहन नगर हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान था। सभी दस्तावेजों में मेरा नाम महेंद्र कुमार गुप्ता दर्ज है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में मुझे महेंद्र कुमार गुप्ता के नाम से ही जाना जावे। सूचित रहे।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल,
अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772

क्र. : DHC-II/3058 **जाहिर आम सूचना** दि. :28.02.23
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 6/250, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 92.25 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री भँवर लाल पारीक पुत्र स्व. श्री हनुमान बक्ष पारीक को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3184 दिनांक 15.11.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 12.12.1989 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3359 दिनांक 22.11.1994 के द्वारा श्री भँवर लाल पारीक पुत्र स्व. श्री हनुमान बक्ष पारीक के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 09.12.1994 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री भँवर लाल पारीक की मृत्यु दिनांक 18.05.2012 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री अश्विनी कुमार पारीक पुत्र स्व. श्री भँवर लाल पारीक ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें। अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री अश्विनी कुमार पारीक दी जावेगी। पुत्र स्व. श्री भँवर लाल पारीक के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। **सम्पदा प्रबन्धक,** वृत्त द्वितीय, जयपुर

संख्यांक 2
विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर, महानगर-प्रथम, राकेश खण्डेलवाल विरूद्ध उत्तम कुमार असरानी
वाद बाबत घोषित किए जाने पूरोबन्ध का अधिकार व स्थायी निषेधाज्ञा, वाद सं. 9 सन् 2021
नाम उत्तम कुमार असरानी पुत्र इन्द्र प्रकाश असरानी, जाति.. स्थान-419-ए, आदर्श नगर, गीता भवन के पास, जयपुर ने आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 03.03.2023 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वादकी सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया। रीडर
मुहर अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या-8, जयपुर महानगर प्रथम

NAME CHANGE

I, Rahul Ravi Sharma S/o Ravi Ram Kumar Sharma R/o C 241 Dayanand Marg, Tilak Nagar Jaipur 302004 (Raj.) have changed my name to Rahul Sharma for all future purposes.

I, Rathod Bhupendrasingh Narendra singh changed my name to Bhupendra singh Narendrasingh Rathod for all future purpose. known me in future Bhupendrasingh Narendrasingh Rathod Add: 9, Sarvan Colony, Near Palak Peradise, Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur-302012

हमने (पिता पीयूष गुप्ता माता मीनल गर्ग) अपनी पुत्री का नाम रूहानी (Ruhani) से बदलकर रूहानी गुप्ता (Ruhani Gupta) कर लिया है अतः भविष्य में उसे इसी नाम से जाना जाये पता-80/57, नजदीक पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर

मैंने अपना नाम मंजू से बदलकर मंजू विजय रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये मंजू विजय धर्मपत्नी देवेन्द्र प्रकाश विजय निवासी 3/104 नगर निगम कॉलोनी, आमेर रोड, जयपुर

विवाहोपरांत मैंने अपना नाम सुनीता शर्मा से बदलकर हिमांशी शर्मा रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये, हिमांशी शर्मा धर्मपत्नी अमित शर्मा निवासी फ्लैट 301, प्लॉट 11, द्वितीय फ्लोर, वृंदावन विहार, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर

मैंने अपना नाम राजीव कुमार शर्मा से बदल कर राजीव शर्मा पुत्र श्री हरीश शर्मा निवासी-151, हरी विला, देवधारा कॉलोनी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम एवं पते से पहचाना जावें।

मैंने अपना नाम रिंकी कुमारी शर्मा से बदलकर रिंकी शर्मा पत्नी श्री राजीव शर्मा निवासी-151, हरी विला, देवधारा कॉलोनी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम एवं पते से पहचाना जावें।

विवाधको के स्थिरीकरण के लिये समन (आर्डर 5 रूल 1 व 5 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मुण्डावर
दावा- महावीर प्रसाद बनाम सुरेन्द्र वगै0
दावा-तकमील मुआयदा
मु.नं. 09/2022

1. प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री बसन्त कुमार शर्मा निवासी ए-152, मालवीय नगर जयपुर राज.
हरगाह की मुदईयान ने आपके खिलाफ एक दावा तमकील मुआयदा का अदालत में दायर किया हुआ है लिहाजा आपको बजरीये इस तहरीर व दबाव देही के लिये तारीख 16.03.2023 को दिन के 10.00 बजे अदालत में असालतन मार्फत ऐसे वकील के जो मुकदमें से वाकिफ हो वमुकद्मे से संबंधित सभी प्रश्नों काजवाब दे सके, हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है, और आपको हिदायत दी जाती है कि जुमला दस्तावेजात अपनी जवाब देही की ताईद में पेश करना चाहे तो पेश करें।
आगाह रहे कि अगर आप न्यायालय में हाजिर नहीं हुये तो दावा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसला किया जायेगा वयह सम्मन मेरे दस्तखत व मोहर के साथ अदालत ने आज तारीख 06.02.2023 को जारी किया गया है।
मोहर अदालत — न्यायालय अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश महोदय मुण्डावर अलवर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 755/23
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी पूर्वा नागर पत्नी अंकुर भट्ट जाति ब्राह्मण
विवाद स्थान 102, शास्त्री नगर मन्नाका रोड, अलवर हाल एस-22, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
मृतक अंकुर भट्ट की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 17.03.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम अंकुर भट्ट पुत्र लोकेश कुमार भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी 102, शास्त्रीनगर मन्नाका रोड, अलवर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 17 माह 03 सन 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 22 माह 02 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीया ने मृतक अंकुर भट्ट के प्रा. पत्र में वर्णित पीपीएफ व बचत खाते में जमा राशि व शेयर्स सर्टिफिकेट बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
उद्घोषणा की प्रतियाँ, न्यायालय के सहायक परिसेवी को भेजकर निर्देश दिया जाता है कि एक प्रति मृतक निवास स्थान पर दूसरी प्रति निवास स्थान के सार्वजनिक दृश्य स्थान पर ढोल बजाकर, तीसरी प्रति न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की जाकर चतुर्थ प्रति पर, तामिली रिपोर्ट अंकित कर पेशी के पूर्व वापिस लौटाई जावें।
मोहर अदालत — आज्ञा न्यायालय से वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रबन्धक, सर्किट हाउस, भरतपुर (राज.)
क्रमांक:वि.ब.भ./875 दिनांक: 01.03.2023
खुली बोली आमंत्रण सूचना

सर्किट हाउस, भरतपुर में जॉब-बेसिस पर स्वागतकर्ता/रिसेप्शनिस्ट का सेवा कार्य कुल लागत रूपये 9.60 लाख उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ठ पंजीकृत निविदादाता/संवेदकों/फर्मों से प्रतियोगी निविदाऐं तकनीकी एवं वित्तीय दिनांक 13.03.2023 को अपरांह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर निम्न कोड से देखी जा सकती है।
NIB CODE- CBH2223A0011
UBN No.- CBH2223SSOB00010
प्रबन्धक सर्किट हाउस, भरतपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान भरतपुर
क्रमांक: 903-06 दिनांक: 28.02.2023
खुली बोली आमंत्रण सूचना

इस कार्यालय के नियन्त्राधीन संचालित 18 आयुष हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के उपयोगार्थ 13 आईटम (संलग्न सूची अनुसार) नियम 43 (10) के तहत समय अभाव के कारण एवं सामग्री की आवश्यकता होने से क्रय हेतु खुली बोली में भाग लेने हेतु कोई भी इच्छुक बोलीदाता निर्माता/विक्रेता सहकारी समिति संघ स्वयं सहायता समूह पंजीकृत व्यवसायियो अथवा सप्लायर्स खुदरा एवं थोक विक्रेता इत्यादि से दिनांक 10.03.23 तक दोपहर 2 बजे तक सीलबन्द लिफाफ में बोलियां आमंत्रित की जानी है प्राप्त निविदाए उसी दिवस दिनांक 10.03.23 को तीन बजे खोली जावेगी।

	विवरण	अनुमानित मूल्य	बोली फार्म शुल्क	अमानत राशि	बोली फर्म विक्रय हेतु उपलब्ध	बोली फर्म भरकर प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
1	18 आयुष हैल्थ एण्ड वेलनस सेन्टर हेतु उपयोगार्थ 13 आईटम संलग्न सूची अनुसार	627400/-	500/-	12600	2.03.2023 से 09.03.2023	10.03.2023

1. बोली से सम्बन्धित शेष विस्तृत विवरण वेवसाईट Sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
2. बोली फार्म Online Download कर भरकर प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन ऐसे आवेदन पत्रो के साथ करे रू. 500/- मात्र का फार्म शुल्क जरिए डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग भरतपुर के नाम (Payabe at Bharatpur) संलग्न करना होगा दी जाने वाली दरें समस्त करों/प्रभारों सहित एवं भरतपुर के AHWC सेन्टरर्स 18 पर आपूर्ति/पहुचाने के खर्च सहित (FOR) प्रस्तुत करें। इसपेसी फिकेशन विवरण के साथ संलग्न है।

NIB-AYU2223A0170
UBN-AYU2223GS0B00165
(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक
आयुर्वेद विभाग भरतपुर